

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8796/702-03

दिनांक: 21-5-19

सेवा में

1. वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार ।
2. वन मण्डल अधिकारी, सिरसा ।

विषय: Diversion of 0.0093 ha. of forest land for access to Waris Motel along Sirsa-Bhadra road, km. 3.10, L/side, at Village Shahpur Begu, under forest division and District Sirsa, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/38254/2019

संदर्भ: वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार का पत्र क्रमांक 250 दिनांक 8-5-2019 ।

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं जिन्हें दूर करके सही सूचना सम्बन्धित प्रपत्रों की एक-एक प्रति सहित तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके :-

1. सी0ए0 साईट का डी0जी0पी0एस0 मैप ठीक नहीं है । सी0ए0 साईट का डी0जी0पी0एस0 मैप तैयार करके आपको ई-मेल दिनांक 14-5-2019 (at 10.45 AM) के माध्यम से भेजा हुआ है जो कि प्रोपर लिंक पर अपलोड करें व हस्ताक्षरित प्रति इस कार्यालय को भेजें ।
2. सी0ए0स्कीम में सी0ए0 के तहत 50 पौधे लगाने के लिए राशि शामिल की हुई है जबकि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी Handbook of guidelines-2019 के पार्ट-बी चैप्टर-2 की क्रम संख्या 2.6 के अनुसार सी0ए0 के तहत कम से कम 100 पौधे लगाने के लिए सी0ए0 स्कीम बनाई जानी अनिवार्य है । कृपया तदानुसार संशोधित सी0ए0 स्कीम व 100 पौधों के लिए भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र पुनः तैयार करके प्रोपर लिंक पर अपलोड करें एवं उनकी एक-एक प्रति इस कार्यालय को भेजें ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
हरियाणा, पंचकुला ।

Wep
21/5

P
21/5
2019